

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 88

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1267.85	14.99	1282.84	1485.00	17.06	1502.06	1300.00	15.64	1315.64	1500.00	17.21	1517.21	
पूँजी	
जोड़	1267.85	14.99	1282.84	1485.00	17.06	1502.06	1300.00	15.64	1315.64	1500.00	17.21	1517.21	
1. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	3451	...	14.99	14.99	...	17.06	17.06	...	15.64	15.64	...	17.21	17.21
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान													
2. स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाएं	3425	445.41	...	445.41	504.00	...	504.00	429.05	...	429.05	509.85	...	509.85
3. अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता													
3.01 मानव संसाधन विकास	3425	74.97	...	74.97	85.00	...	85.00	70.95	...	70.95	73.00	...	73.00
3.02 जैव सूचना विज्ञान	3425	32.11	...	32.11	25.00	...	25.00	23.13	...	23.13	14.00	...	14.00
3.03 अनुसंधान एवं विकास	3425	419.68	...	419.68	420.50	...	420.50	367.10	...	367.10	426.00	...	426.00
3.04 सामाजिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी	3425	10.99	...	10.99	12.00	...	12.00	11.00	...	11.00	10.15	...	10.15
3.05 महाचुनौती कार्यक्रम	3425	28.98	...	28.98	30.00	...	30.00	31.00	...	31.00	45.00	...	45.00
3.06 उत्कृष्टता और नई खोज के संवर्धन संबंधी कार्यक्रम	3425	60.79	...	60.79	65.00	...	65.00	57.00	...	57.00	73.00	...	73.00
3.07 जैव प्रौद्योगिकी सुविधाएं	3425	48.47	...	48.47	55.00	...	55.00	56.50	...	56.50	67.00	...	67.00
जोड़- अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता		675.99	...	675.99	692.50	...	692.50	616.68	...	616.68	708.15	...	708.15
4. आई एंड एम सेक्टर-सरकारी निजी भागीदारी	3425	107.75	...	107.75	90.00	...	90.00	69.77	...	69.77	79.00	...	79.00
5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	3425	38.70	...	38.70	50.00	...	50.00	54.50	...	54.50	53.00	...	53.00
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान													
6.01 मानव संसाधन विकास	2552	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	7.00	...	7.00
6.02 उत्कृष्टता और नई खोज के संवर्धन संबंधी कार्यक्रम	2552	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00
6.03 जैव प्रौद्योगिकी सुविधाएं	2552	5.00	...	5.00	1.50	...	1.50	3.00	...	3.00
6.04 जैव सूचना विज्ञान	2552	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
6.05 अनुसंधान एवं विकास	2552	80.00	...	80.00	77.56	...	77.56	76.00	...	76.00
6.06 महाचुनौती कार्यक्रम	2552	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
6.07	सामाजिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी	2552	2.00	...	2.00	1.06	...	1.06	9.85	...	9.85	
6.08	स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाओं को सहायता	2552	30.00	...	30.00	25.61	...	25.61	40.15	...	40.15	
6.09	आई एंड एम सेक्टर	2552	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00	
6.10	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2552	0.50	...	0.50	0.27	...	0.27	2.00	...	2.00	
	जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान		148.50	...	148.50	130.00	...	130.00	150.00	...	150.00	
कुल जोड़		1267.85	14.99	1282.84	1485.00	17.06	1502.06	1300.00	15.64	1315.64	1500.00	17.21	1517.21	
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय														
1.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	1267.85	...	1267.85	1336.50	...	1336.50	1170.00	...	1170.00	1350.00	...	1350.00
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	148.50	...	148.50	130.00	...	130.00	150.00	...	150.00
जोड़		1267.85	...	1267.85	1485.00	...	1485.00	1300.00	...	1300.00	1500.00	...	1500.00	

- सचिवालय - आर्थिक सेवाएं:** जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीवीटी) के सचिवालय पर व्यय हेतु प्रावधान।
- स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थानः** विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 16 स्वायत्त संस्थाएं तथा 2 व्यावसायिक निकाय हैं जिसके लिए सहायता दी जा रही है।
- अन्य वैज्ञानिक निकायों की सहायता:** (1) मानव संसाधन विकास (एचआरडी), जैव सूचनातंत्र, अनुसंधान तथा विकास अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं, बड़े चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम, उत्कृष्टता, जैव प्रौद्योगिकी सुविधा आदि के संवर्धन हेतु कार्यक्रम के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- आई एण्ड एम क्षेत्र:** जिन स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है वे हैं: लघु व्यवसाय नवप्रवर्तन अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई), जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी), तथा जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक पार्क हेतु सहायता तथा एसबीआईआरआई और बीआईपीपी कार्यक्रमों से आगे उद्योग नवप्रवर्तन वित्तपोषण स्कीमों का विस्तार।
- अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग:** सहयोग के व्यापक क्षेत्र मानव संसाधन विकास, कृषि और खाद्यान्न, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल, मॉलीक्यूलर जीव विज्ञान, जैवसूचना और संगणना जीव विज्ञान, औद्योगिक सहयोग होंगे। देश में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के उभरते हुए क्षेत्र में क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। चालू कार्यक्रमों के अलावा नई

परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा पर नया जोर देते हुए जैवप्रौद्योगिकी में भारत-स्विस कार्यक्रम पुनः शुरू किया जाएगा।

6. **पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान:** पूर्वोत्तर के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य संस्थाओं और विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के सहयोग तथा भागीदारी से पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ मानव संसाधन विकास, जैव प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं अनुसंधान तथा विकास के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु आवश्यक प्रावधान रखे गए हैं।